



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]
No. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2007/माघ 20, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007/MAGHA 20, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 में, उससे संलग्न फॉर्म IIख में, "अपर सचिव, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(187)/2003-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्व संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख 25 जून, 2001 और सा.का.नि. 467(अ), तारीख 9 जून, 2003 तथा सा.का.नि. 441(अ), तारीख 24 जुलाई, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2007

G.S.R. 73(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in Form IIB appended thereto, for the words "Additional Secretary to the Government of India" the words "Joint Secretary to the Government of India" shall be substituted.

[F. No. 5(187)/2003-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, vide number S.R.O. 324, dated 14-02-1956 and subsequently amended by the following numbers :—

- (1) No. G.S.R. 370(E), dated 8-7-1997,
- (2) No. G.S.R. 547(E), dated 31-8-1998,
- (3) No. G.S.R. 17(E), dated 5-1-2000,
- (4) No. G.S.R. 262(E), dated 28-3-2000,
- (5) No. G.S.R. 630(E), dated 21-7-2000,
- (6) No. G.S.R. 172(E), dated 12-3-2001,
- (7) No. G.S.R. 330(E), dated 9-5-2001,
- (8) No. G.S.R. 460(E), dated 25-6-2001,
- (9) No. G.S.R. 467(E), dated 9-6-2003, and
- (10) No. G.S.R. 441(E), dated 24-7-2006.